उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–2405–औसं/2014–11(4)–एफ0/86(वा0–II) दिनाँक 30 जुलाई, 2014

विषयः– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की समय–सीमा निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह अनुभव किया गया है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे अतिविलम्ब से प्रस्तुत किये जाते है, जिससे दावे की जाँच, चिकित्सालय की मान्यता की स्थिति आदि महत्वपूर्ण अभिलेखो की पुष्टि में व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। जिनके निवारण हेतु एतद्द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों की भर्ती होकर कराई गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में यह व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है कि चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने की तिथि के 06 माह के अन्दर बीजक सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेगें। 06 माह के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने वाले बीजक कालबाधित होगें एवं उनकी प्रतिपूर्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष

संख्या–2405–(1)–औसं/2014 तद्दिनांकः–

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष एवम्, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

3– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।

4– निदेशक (आपरेशन)/(वर्क एण्ड प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

5– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

6– मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

7– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।

8– समस्त उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

9– समस्त अपर सचिव/महाप्रबन्धक (औ0सं0)/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भित आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट WWW.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

12– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड़, लखनऊ।

13– कट फाइल।

आज्ञा से,

(राधे मोहन)

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)